

III. 001/2024
राजस्थान सरकार
(85 पन्ना)

30⁰⁵
2024

पत्रावली पेश हुई... अधिष्ठापक सचिव द्वारा
व्यापिक कार्य... स्थापित कराने हेतु
अब पत्रावली पुरानुसार दिनांक
10.06.24... को पेश की जावे।

P.O.
Jyoti
Sharma

10⁰⁶
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। पेरोंकर
सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत
करने के इच्छा कर पत्रावली में No-objection
प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने आप ही वकालत करने का
निवेदन कर प्रॉप पत्रा 128 पर बहक डीएम किया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रॉप पत्रा 128
-128 व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का गहनता
से अवलोकन किया गया व अनन्य किया गया।
वकील प्रार्थी द्वारा बहक के दौरान दी गई पत्तियों
के हक संतुष्ट हैं। प्रार्थी का प्रॉप पत्र अन्तर्गत धारा
-128 बाबत पत्थरगढ़ी का हकीकार योग्य पत्रा
जाता है। अतः वकील प्रार्थी का प्रॉप पत्र हकीकार
योग्य पाये जाते हैं हकीकार किया जाता है। प्रॉप पत्र
धारा-128 का निर्णय हथक ले लिया जाकर
शुभे न्यायालय की इजलाह में सुनाया गया।
पत्रावली केवल शुमार हो बर्न रजिस्टर
किया जाकर शामिल पत्रा हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिसोड़ा)